

ने के दि०... 31/02/14  
मान्य होगी।

मानचित्र संख्या... 228/142-13  
यह रवीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम  
1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11-1973) की धारा 15 उपधारा  
3 एब इस विषय में सम्बन्धित नियमों/उपविधियों के अनुसार की गई  
है। इस रवीकृति से आपको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा इस  
रवीकृति का कोई प्रभाव सम्बन्धि सम्बन्धि किसी अधिकार पर नहीं  
पड़ेगी और न ही कोई कानूनी रुकावट होगी।

साधिका  
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा  
दिनांक... 31/02/14

नोट:  
सी० नं० 3/3 पर चर्चा सभी  
शर्तें मान्य होंगी।

यह चर्चा पारसिब का सभी शर्तें  
को ध्यान रख लिया है।  
यह नियम 30 नगर योजना एवं विकास  
अधिनियम 1973 की धारा 15/निर्माण  
विधियों के अनुसार है। स्वीकृत योग्य है।  
31/02/14  
सहायक साधिका



SPECIFICATION :-

1. 1:4:8 P.C.C. IN FOUNDATION
2. 1:2:4 R.C.C. IN SLAB, BEAM & LINTEL.
3. 1st CLASS BRICK WORK IN FOUNDATION AND SUPAR STRUCTURE.
4. 12MM THICK PLASTER IN (1:6) CEMENT SAND MORTAR.
5. MARBLE CHIPS FLOORING.